

न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : हरि मोहन गीना I.A.S.

प्रकरण संख्या - 35/2021 (अपील)

जीसीएमएस नं० 2021/198

अशाफाक हुसैन आत्मज श्री सिराजुद्दीन जाति मुसलमान निवासी प्रताप
कौलोनी भदाना कोटा-राज०

--अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये सहायक वन संरक्षक वन मण्डल कोटा

--रेस्पोंडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान
भू-राजस्व अधिनियम 1956 बनाराजगी आदेश
दिनांक 29.08.2016 मि०नं० 12/2016
न्यायालय सहा० वन संरक्षक वन मण्डल कोटा
कार्यवाही धारा 91 भू रा० अधि०

उपरिस्थिति

1. श्री असलम अंसारी, अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री बृजराज सिंह चौहान, राजकीय अभिभाषक रेस्पोंड की ओर से



निर्णय

दिनांक:-25.04.2022

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक, वन मण्डल कोटा द्वारा ग्राम भदाना की ख०नं० 34 की रकबा 0.0061 हे० वन भूमि में अतिक्रमण की रिपोर्ट क्षेत्रीय वन अधिकारी लाडपुरा के आधार पर धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के अर्न्तगत वन भूमि पर अतिक्रमण मानते हुए प्रकरण संख्या 12/2016 दर्ज कर अपीलान्ट को अतिक्रमण की गई भूमि से बेदखली के आदेश एवं 21,00/- शास्ति एवं एक माह के सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करते हुए दिनांक 29.08.2016 को निर्णय पारित किया है।
2. उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह अपील दिनांक 30.08.2021 को पेश की गई। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट को तलब किया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड प्राप्त किया गया। रेस्पोंडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित। वकील अपीलान्ट उपस्थित। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील मेमो में अंकित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया है, अपीलान्ट को किसी प्रकार का कोई साक्ष्य, सबूत व जवाब पेश करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया है और अपीलांट की अनुपस्थिति में एकपक्षीय निर्णय पारित किया है। अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमण की परिभाषा में नहीं आता है। मौके पर अपीलांट का कभी कोई कब्जा नहीं रहा है मात्र क्षेत्रीय वन अधिकारी लाडपुरा की रिपोर्ट व मौखिक जानकारी के आधार पर विवादित निर्णय पारित किया गया है। क्षेत्रीय वन अधिकारी लाडपुरा ने आज तक अपीलांट के कब्जे के बारे में कोई पूछताछ नहीं की है। अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा नम्बर 34 रकबा 0.0061 वन खण्ड राडी भदाना भूमि पर अपीलांट को अतिक्रमण मानते हुए केवल मात्र अभिलेखों की त्रुटि के कारण प्रार्थी अपीलांट को दण्डित किया है अपीलांट का कभी भी उक्त विवादित भूमि पर कब्जा नहीं रहा है तथा पश्चातवर्ती

जिशा कलेक्टर

कोटा

अतिक्रमी की श्रेणी में नहीं आता है । अपीलान्ट को उक्त निर्णय की प्रथम जानकारी दिनांक 27.8.2021 को हुई जब पुलिस द्वारा अपीलान्ट को उक्त निर्णय की पालना में गिरफ्तार करके जेल भिजवा दिया गया । जिस पर अपीलान्ट के परिजनों द्वारा अधिवक्ता से संपर्क किया जाकर दिनांक 27.6.2021 को नकल प्राप्त कर अपील पेश की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर निर्णय दिनांक 29.8.2016 सहायक वन संरक्षक कोटा वन मण्डल कोटा को निरस्त फरमाया जावे ।

4. रेस्पोंडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट द्वारा कार्यवाही की गई है, अपीलान्ट द्वारा जो जमाबंदी दौरान बहस पेश की गई है वह ऑनलाईन निकाली गई है जिसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है तथा सत्यता की जांच आवश्यक है ।
5. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी व बहस पर मनन किया । न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 29.08.2016 के विरुद्ध यह अपील दिनांक 30.08.2021 को पेश की गई है जो अन्दर मियाद है । अधीनस्थ न्यायालय में क्षेत्रीय वन अधिकारी लाडपुरा की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम राडी भदाना स्थित वन भूमि खसरा नम्बर 34 रकबा 0.0061 हे० पर अशफाक हुंसेन आत्मज श्री सिराजुद्दीन जाति मुसलमान निवासी प्रताप कॉलोनी भदाना अनाधिकृत कब्जा कर मकान बना रखा है । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने बेदखली एवं शास्ति 21,00/- एवं एक माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है । राजकीय अभिभाषक द्वारा उक्त कार्यवाही बेदखली आदि दण्ड को उचित बताया है तथा अतिक्रमित भूमि वन विभाग की होना बताया है इसके विपरीत वकील अपीलान्ट द्वारा एक जमाबंदी अंतिम चौसला सम्वत 2073-2076 खाता संख्या नया 27 पेश कर कथन किया है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 34 ग्राम भदाना वन विभाग की भूमि नहीं है मात्र अभिलेखों के आधार पर वन विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है । हमने वन विभाग की पत्रावली का अवलोकन किया जिसमें राजस्व रेकार्ड जमाबंदी आदि उपलब्ध नहीं है, ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि खसरा नम्बर 34 वन विभाग की भूमि है अथवा नहीं । इस बाबत प्रकरण पुनः राजस्व रेकार्ड एवं नक्शे से जांच करते हुए अपीलान्ट को पूर्ण सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित पाते है ।
6. अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 29.08.2016 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में राजस्व रेकार्ड की जांच करें कि भूमि वन विभाग की है अथवा नहीं तथा अपीलान्ट को पूर्ण सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देते हुए नवीन निर्णय पारित करें । अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 13.05.2022 को अपनी उपस्थिति दें ।
7. निर्णय आज दिनांक 25.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।



(हरि मोहन मीना)

जिला कलेक्टर, कोटा

जिला कलेक्टर

कोटा